न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 86/2025(GCMS : 2025/248)**

आवास फाईनेंसर्स लि., पंजीकृत कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर व **स्थानीय शाखा** तहसील कार्यालय के सामने, स्टेशन रोड़, अनूपगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी विक्रम सिंह, एसीएम

बनाम

1. **जरनैल सिंह** पुत्र लक्ष्मण सिंह (मृतक) जरिए विधिक वारिसान गुरमीतो बाई, बीटॅ सिंह निवासी चक 5 एल एस एम बांडा, तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ(राज.)
2. **गुरमीतो बाई** पत्नी जरनैल सिंह निवासी चक 5 एल एस एम बांडा, तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़(राज.)
3. **बीटु सिंह** पुत्र जरनैल सिंह निवासी चक 5 एल एस एम बांडा, तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़(राज.)
4. **लखवीर सिंह** पुत्र सतनाम सिंह निवासी चक वार्ड नं. 11, चक 5 एल एस एम बांडा, तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2025

पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप–1) विभाज राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.9(21)राज–1/2024–1 जयपुर दिनांक 29.12.2024 के द्वारा नवगठित जिला अनूपगढ़ को निरस्त कर, यथावत मूल जिला श्रीगंगानगर एवं बीकानेर में सम्मिलित करने पर यह पत्रावली इस कार्यालय को प्राप्त होने पर पेशी में ली गई।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र मूण्ड उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी आवास फाईनेस लि. ने अप्रार्थीगण जरनैल सिंह, गुरमीतो बाई, बीटू सिंह एवं लखवीर सिंह द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी जरनैल सिंह (मृतक) की आवासीय भूखण्ड का पट्टा नं. 47, बुक संख्या 31 वाके चक 5 एल एस एम बांडा तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.), जिसके उत्तर दिशा में कश्मीर सिंह, दक्षिण दिशा में सतनाम सिंह, पूर्व दिशा में सड़क व पश्चिम दिशा में भगवान सिंह है, भूखण्ड का क्षेत्रफल 240 वर्गगज है, का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:45:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण जरनैल सिंह, गुरमीतो बाई, बीटू सिंह एवं लखवीर सिंह के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में जरनैल सिंह(मृतक) की अचल सम्पत्ति भूखण्ड का पट्टा नं. 47, बुक संख्या 31 वाके चक 5 एल एस एम बांडा तहसील अनूपगढ़ जिला अनूगपढ़ (राज.), जिसके उत्तर दिशा में कश्मीर सिंह, दक्षिण दिशा में सुखदेव सिुंह, पूर्व दिशा में सड़क व पश्चिम दिशा में भगवान सिंह है, भूखण्ड का क्षेत्रफल 240 वर्गगज है, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था। और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:25:49 IST
Reason: SelfAttested